# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली

*पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस*

तारीख रजू:– 13.11.2014

मु0नं0 117/2014

## भंवर आदि बनाम राज सरकार जरिये जिला कलक्टर

## प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

### निर्णय

दिनांक 10.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि सायलान ने प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश कर बताया गया है कि खसरा नं. 755 रकवा 1.04 है0 वाके ग्राम मुकुन्दपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसके साविक खसरा नं. 17 मि0 है। खसरा नं. 749/1272 रकवा 57 एयर 752/1272 रकवा 1.00 है0 753/1271 रकवा 15 एयर 754/1268 रकवा 19 एयर 759 रकवा 99 एयर 760 रकवा 31 एयर 762 रकवा 22 एयर 765 रकवा 18 एयर 772 रकवा 66 एयर कुल किता 9 कुल रकवा 4.27 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन में गैरसायल नं. 1 के हक में चरागाह दर्ज है जिसके हाल खसरा नं. 754/1268 रकवा 19 एयर साविक खसरा नं. 17 मि. से बना है। यह खसरा नं. काफी बडा था इसमें से सायलान के पूर्वज नथोली पुत्र रामहेत के हक में दिनांक 15.10.1975 को 5 वीघा भूमि आवंटन हुई थी जिसका आराजी खसरा नं. 17/7 कायम करते हुए नथोली के हक में खातेदारी दर्ज हो गई ओर भूमि पर जीतेजी काश्त करता रहा ओर मरने के बाद उक्त भूमि पर आज दिनांक तक सायलान काश्त करते चले आ रहे है भू–प्रवंध विभाग द्वारा साविक आराजी की मुकावले हाल खसरा नं. 755 रकवा 1.04 है0 दर्ज किया गया है जबकि रकवा 1.25 होना चाहिए था 19 एयर रकवा खसरा नं. 754/1268 दर्ज करते हुए चरागाह खाता में अंकन कर दिया गया है। भूमि पर सायलान का कब्जा है। राज्य कर्मचारी आयेदिन उक्त चरागाह भूमि दर्ज होने पर बेदखली करने की धमकी देते है। जिससे सायलान को अपूर्ण क्षति होने की सम्भावना बनी हुई है। अंत में प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया जिसमे पैरोकार सरकार ने जवाव प्रार्थनापत्र पेश कर बताया गया है कि विवादित आराजी चरागाह है जिस पर सायलान का कोई कब्जा नही है जिस भूमि पर सायलान का कब्जा था जिसे भू–प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नं. 755 रकवा 1.04 है0 कायम किये गये है जो सही है। तथा उच्य न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा चरागाह भूमि को किसी निजी व्यक्ति को खातेदारी में दर्ज नही किया जा सकता है। अंत में प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र को दोहराते हुए निवेदन किया गया है कि हमारे पूर्वजो को 5 वीघा जमीन आवंटन हुई थी जिसका रकवा भू–प्रबंध विभाग ने 1.25 के स्थान पर 1.04 है0 भूमि खातेदारी में दर्ज की गई है शेष रकवा चरागाह में दर्ज कर लिया गया है। इस आराजी पर प्रार्थी का ही कब्जा है प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीयान को कब्जो अनुसार भूमि खातेदारी में दर्ज की गई है जो सही है। अन्य किसी भूमि पर इनका कोई कब्जा नही है। प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकार अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने पर पाया गया की सायलान के पूर्वज नथोली पुत्र रामहेत को आराजी खसरा नं. 17/7 रकवा 5 वीघा भूमि दिनांक 15.10.1975 को आवंटन हुई थी जिसका नियमानुसार रिकॉर्ड में अमल होकर खातेदारी में दर्ज हो गई। भू–प्रबंध विभाग द्वारा सायलान की खातेदारी एवं कब्जे के आधार पर नवीन खसरा नं. कायम करते समय 755 रकवा 1.04 है0 सही दर्ज किया गया है। जहा पर वकील सायल का कथन था की सम्पूर्ण आराजी पर सायलान का कब्जा है बहॉ पर कब्जे वावत अंनुतोश मे चाहा गया खसरा नं. 754/1268 के सम्बंध में कोई खसरा परिर्वतनशील की प्रति पेश नही की गई है यह आराजी साविक खसरा नं. 17 मि. से बना है इस प्रकार से सायलान अपने प्रार्थनापत्र में अपने आपको प्राईमाफेसी एवं सुविधा का सन्तुलन सावित करने में नाकाम रहे जिससे सायल को कोई अपूर्ण क्षति होने की सम्भावना नही बनती हैं। यदि किसी प्रकार की साक्ष्य आदि रखते है तो वो अपने दावे में साक्ष्य पेश करने में स्वतंत्र रहेगे।

अतः सायल का प्रार्थनापत्र वावत धारा 212 आर.टी.ए. खिलाफ गैरसायलान का खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल दावे में सामिल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner